राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डा० राधाकृष्ण शिक्षा संकल परिसर मदरसा बोर्ड भवन.जे.एल.एन. मार्ग. जयपर. राज0

क्रमांकः– एफ 1(1)/असमावि/अल्प.आवा.विद्या/2021–22/पार्ट 1/ 1478 दिनांकः– 10/05/2022

–ःसंचालन स्वीकृति आदेशः–

राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रो में अल्पसंख्यक समुदाय के बालक–बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने के लिये बजट वर्ष 2022–23 में ''राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों'' की स्थापना करने एवं खोले जाने की घोषणा की गई है। इस बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु निम्नानुसार राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का संचालन सत्र 2022–23 से स्वयं के भवन निर्माण होने तक किराये के भवन में संचालित किये जाने की एतद् स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का नाम	श्रेणी	बजट घोषणा
1	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, चुरू	बालक	2022–23
2	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सवाई माधोपुर	बालक	2022–23
3	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नागौर	बालक	2022–23
4	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, फतेहपुर– सीकर	बालक	2022–23
5	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, तिजारा–अलवर	बालिका	2022–23
6	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, घडसाना–श्रीगंगानगर	बालक	2022–23
7	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सम–जैसलमेर	बालक	2022–23
8	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, अभे का पार (रामसर)–बाडमेर	बलिका	2022–23

- इन विद्यालयों का संचालन संलग्न दिशा–निर्देशों एवं स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
- इन आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु रसोईया, चौकीदार, सफाईकर्मी, वार्डन आदि का कार्य उपलब्ध बजट प्रावधान के तहत वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र संख्या 1/2018 दिनांक 30.04.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो/नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुये जॉब बेसिस पर कराये जायेंगें।
- निर्धारित विभाग के मापदण्डो के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये अनावर्तक सामग्री (बिस्तर, बर्तन, फर्नीचर, रसोईघर हेतु आवश्यक सामग्री) का क्रय **RTPP Act** 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानो के अन्तर्गत संबंधित लेखाशीर्ष के उपलब्ध बजट प्रावधान में से करेंगें।
- यह स्वीकृति वित्त विभाग के आई संख्या 162200676 दिनांक 04.05.2022 के अनुसरण में जारी की जाती है।

संलग्नः– दिशा–निर्देश

9.5.2022

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ 1(1)/असमावि/अल्प.आवा.विद्या/2021/1479-89 दिनांकः– 10/05/2022

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई डी संख्या 162200676 दिनांक 04.05.2022 के अनुसरण में।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोषालय, चुरू, सवाई माधोपुर, नागौर, सीकर, अलवर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाडमेर।
8. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी (लेखा एवं हक) शासन सचिवालय, जयपुर।
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, चुरू, सवाई माधोपुर, नागौर, सीकर, अलवर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाडमेर को पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि उक्त विद्यालय का संचालन सत्र 2022–23 से सुनिश्चित करे। इस हेतु निर्देशानुसार भवन की उपलब्धता, आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने, प्रवेश प्रक्रिया आरंभ करने आदि की आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर पूर्ण करे।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाशाखा कार्यालय हाजा।
11. सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

9/5/2022
(मंजू)
अतिरिक्त निदेशक